

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.2(3)नविवि/चित्तौड़गढ़/2017

जयपुर, दिनांक :- 16 AUG 2017


आदेश

ले-आउट प्लान/भवन निर्माण स्वीकृति के संबंध में जारी विभागीय आदेश क्रमांक प.10(24)नविवि/2010 दिनांक 12.06.2010 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

1. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास- अध्यक्ष।
2. सचिव, नगर विकास न्यास-सदस्य।
3. न्यास में पदस्थापित वरिष्ठ/उप/सहायक/नगर नियोजक- सदस्य सचिव।
4. सम्बन्धित क्षेत्र का अधिशाषी/सहायक अभियंता-सदस्य।

अतः सचिव, नगर विकास न्यास के स्थान पर नगर विकास न्यासों में भवन मानचित्र/ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु गठित कमेटी की अध्यक्षता सम्बन्धित अध्यक्ष, नगर विकास न्यास द्वारा की जावेगी।


उक्त आदेश माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग से अनुमोदित है।


  
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास समस्त-----।
5. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
6. निदेशक, स्थानीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त को आवश्यक कार्यवाही बाबत.....।
9. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
10. वरिष्ठ शासन उप सचिव-नविवि को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
11. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

2A  
  
12/8